न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार सिन्धव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 100/15 निर्णय दिंनाक 08.06.2017

1. पृथ्वीराज पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी ग्राम टोल्या तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :–

वादी स्वंय

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार

दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं खोदारी अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टोल्या पटवार मण्डल लोढाहेडा में खाता संख्या 8 के खसरा नंबर 193 की रकबा 0.64 है0, खसरा नंबर 203 की 0.98 है0, किता 02 की 1.62 है0, एवं खाता संख्या 319 की 0.14 है0, खसरा नंबर 321 की 2.19 है0, खसरा नंबर 342 की 0.30 है0, खसरा नंबर 358 की 0.08 है0, खसरा नंबर 365 की 0.09 है0, कुल खसरा किता 05 की रकबा 2.80 है0, आराजी स्थित है।

यह कि उक्त खाता सख्यां 08 एवं 09 में वर्णित आराजी वादी व अन्य सहखातेदार कजोडीलाल, लक्ष्मणलाल की पैतृक सम्पति है जो रामनाथ जी से विरासत में प्राप्त हुई थी। रामनाथ जी के तीन पुत्र क्रमश कजोडीलाल, लक्ष्मणलाल, पुथ्वीराज है। वादी पृथ्वीराज को बचपन में घर पर प्रथमलाल भी बोलते थे इसलिए उनके दो नाम पृथ्वीराज उर्फ प्रथमलाल है। वादी का आगे चलकर सभी दस्तोंवेजों राशनकार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक में पृथ्वीराज की नाम लिखाया गया परन्तु बचपन में ही जब वादी के पिता का फोती इंतकाल खोला गया तो व्यक्ति ने वादी का वास्तविक नाम पृथ्वीराज नंही लिखाकर प्रथमलाल लिखा दिया वही नाम दर्ज हो गया जो आजतक भी प्रथमलाल ही चला आ रहा है इस प्रकार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में भी वादी का नाम प्रथमलाल पुत्र रामनाथ दर्ज हो रहा है जबकि अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में वादी का वास्तविक नाम पृथ्वीाराज दर्ज है इस प्रकार राजस्व रेकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता आजाने से वादी का कई मर्तबा परेशानियां आ जाती है वादी को ऋण प्राप्त करने में दिक्कत आ

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रही है, तथा प्राकृतिक से बर्बाद हुई फसल की क्षति का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया गया उसे भी प्राप्त करने में वादी को भारी परेशानियां हुई हैं, तथा काफी औपचारिकता पूरी करने पर ही मुआवजा राशि प्राप्त कर पाया हूं। इस प्रकार बार–बार वादी के परेशानियों का सामना करना पड रहा है वादी ने इस समस्या का हल हेतु तहसीलदार साहब कनवास को भी प्रार्थना–पत्र दिया जिन्होनें पटवारी हल्का से जांच करवाई तथा जब वास्तविकता प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित किये तथ्यों से मेल खा गई तो उन्होनें इसे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर बताते हुऐ माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्त कर नाम संशोधित कराने हेतु दावा दायरी के निर्देश दिये।

वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पुनः निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा नंबर 01 में वर्णित ग्राम टोल्या पटवार मण्डल लोढाहेडा में स्थित खसरा नंबर 193 व खसरा नंबर 203 की कुल 1.62 है0, आराजी एवं ग्राम टोल्या की खसरा नंबर 319, 321, 342, 358,व 365 की कुल 05 किता की 2.80 है0, आराजी में दर्ज सहखातेदार प्रथमलाल के नाम को संशाधित कर प्रथमलाल के स्थान पर पृथ्वीराज दर्ज करने की घोषणा की जाकर राजस्व रेकार्ड व जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी की गई प्रतिवादी की ओर से दिंनाक 08.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होने वर्णन किया कि प्रथमलाल पुत्र रामनाथ व पृथ्वीराज पुत्र रामनाथ एक ही व्यक्ति है। जो कि सही हैं तथा वादी का वाद स्वीकार करने में अपनी सहमति जतायी। वादी द्वारा भी अपने साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत लोढाहेडा का प्रमाण पत्र की प्रति, भारत निवाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की वाद पत्र में संलग्न किये।

हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेंजों का अवलोकन कर हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं ग्राम टोल्या तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 193 व खसरा नंबर 203 की कुल 1.62 है0, आराजी एवं ग्राम टोल्या की खसरा नंबर 319, 321, 342, 358,व 365 की कुल 05 किता की 2.80 है0, आराजी में दर्ज सहखातेदार प्रथमलाल के नाम को संशाधित कर प्रथमलाल के स्थान पर पृथ्वीराज दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम टोल्या पटवार हल्का लोढाहैडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 319, 321, 342, 358,व 365 की कुल 05 किता की 2.80 है0, आराजी में दर्ज सहखातेदार प्रथमलाल के नाम को संशाधित कर प्रथमलाल के स्थान पर पृथ्वीराज दर्ज किया जावे तथा जाकर राजस्व रेकार्ड व में अमल दरामद किया जावे तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 08.06.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार सिंन्घव (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. पृथ्वीराज पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी ग्राम टोल्या तहसील कनवास।

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं 100/15 सन 2015 निर्णय दिंनाक 08.06..2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम टोल्या पटवार हल्का लोढाहैडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 319, 321, 342, 358,व 365 की कुल 05 किता की 2.80 है0, आराजी में दर्ज सहखातेदार प्रथमलाल के नाम को संशाधित कर प्रथमलाल के स्थान पर पृथ्वीराज दर्ज किया जावे व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/06/2017 को जारी की गई।

मोहर ....

(प्रमोद कुमार सिन्घव आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	""	----------NIL----------		स्टाम्प वकालतनामा	""	----------NIL----------	
स्टाम्प वकालतनामा	""			स्टाम्प अर्जी	""		
स्टाम्प वजह सबूत	""			महनताना वकील	""		
महनताना वकील	""			खर्चा गवाहान	""		
खर्चा गवाहान	""			फीस कमिश्नर	""		
फीस कमिश्नर	""			बाबत इजराय हुकमनामा	""		
बाबत इजराय हुकमनामा	""			मुतफर्रिक	""		
मुतफर्रिक	""			मीजान	""		
मीजान	""						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास